न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA 190 of 2022 (GCMS 506 of 2022)

1. नारायणराम पुत्र विशनाराम
2. किशनाराम पुत्र विशनाराम
   निवासीगण बारनाउ, तहसील बालेसर (हाल तहसील सेखाला), जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम जाट
2. बाबुराम पुत्र विशनाराम गोदपुत्र मेहाराम जाट
3. शान्ति पत्नी विशनाराम जाट
   निवासीगण बारनाउ, तहसील बालेसर (हाल तहसील सेखाला), जिला जोधपुर
4. तहसीलदार सेखाला
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 सितम्बर 2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 84/2019 (जीसीएमएस 2019/00123) किशनाराम बनाम नारायणराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री ओ.पी.राठी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 08 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2019 (जीसीएमएस 2019/00123)

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किशनाराम बनाम नारायणराम एवं अन्य में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 सितम्बर 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 नवम्बर 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 619 रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा बेरडो का बास, बारनाउ तहसील बालेसर (हाल तहसील सेखाला) के संबंध में पेश किया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर 2019 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, मगर बावजूद सूचना प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ दिनांक 09 सितम्बर 2020 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 18 अगस्त 2022 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी, जिसके अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 सितम्बर 2022 को पारित किये गये, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी के सभी काबिज खातेदारान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है और तथ्यों को छुपाते हुए दावा पेश किया गया है। दावा संस्थित किये जाने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण तलबी हेतु सम्मन जारी किये जाने बाबत किसी भी आदेशिका में कोई अंकन नहीं है, दिनांक 16 अक्तूबर 2019 की आदेशिका

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसार प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये सम्मनों की पोस्टल रसीदात पेश होना अंकित करते हुए वास्ते इंतजार आगामी पेशी 30 अक्तूबर 2019 मुकर्रर की गयी, काफी समय तक प्रकरण तलबी इंतजार में चलता रहा और कोराना-काल के कारण दिनांक 13 अगस्त 2020 तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और दिनांक 09 सितम्बर 2020 को पूर्व में भिजवाये गये सम्मनों की समुचित तामील मानते हुए इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, जो सही नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों अनुसार समुचित एवं सम्यक तामील कराये बिना ही मूल वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2022 को पारित कर उसके आधार पर अपीलाधीन फाइनल डिक्री दिनांक 19 सितम्बर 2022 पारित कर दी गयी जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए जाहिर किया कि वादी-रेस्पो. की ओर से अपने वाद में वादग्रस्त आराजी बाबत किये गये कथित बंटवारे की कोई दिनांक आदि जाहिर नहीं की गयी बल्कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि सामलाती दर्ज होना अपने वाद में अंकित किया गया है। रेस्पो.-प्रतिवादी बाबूलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 9 बीघा भूमि का जो बेचान रेस्पो-वादी के हक में किया जाना जाहिर किया गया है, उसके संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि बाबूराम द्वारा कभी भी मौके पर भौतिक कब्जा रेस्पो.-वादी को सुपुर्द नहीं किया गया और वाद के संलग्न जो नजरी नक्शा पेश किया गया है, वह सही नहीं है। 13 अपेल 2011 के बेचाननामा में भूमि की कीमत 50,000 रूपये दर्शायी गयी है जबकि उसी दिन विकेता बाबूलाल द्वारा लिखित एवं नोटेरी से तस्दीक बेचान-इकरारनामा में 9 बीघा भूमि की प्रतिफल राशि 250,000 दर्शाते हुए 155,000 प्राप्त कर लिया जाना व तीन दिन में पंजीयन कराये जाने बाबत वर्णित किया गया है। मगर दावे में इस तथ्य को नहीं दर्शाया गया और न ही सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत पारित निर्णय का कोई विवरण दावे में प्रस्तुत किया गया है। जबकि माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर द्वारा आराजी खसरा संख्या 579, 619, 689, 689/1 एवं 843 कुल रकबा 73 बीघा 16

09.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिस्वा बाबत अपीलाण्ट-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद में उक्त बेचाननामा व बेचान-इकरारनामा के तथ्यों को दर्शाते हुए यह भी अंकित किया गया कि बाबुराम दिनांक 25 नवम्बर 1994 को मेहराराम के गोद चला गया, इस कारण स्व. विशनाराम की खातेदारी भूमियों में उसका कोई हक-हिस्सा नहीं बनता है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त दावा स्वीकार करते हुए बेचाननामा दिनांक 13 अप्रेल 2011 को अपीलाण्ट्स व अन्य के हक-हकूक के खिलाफ बिना बंटवाडा भू-भाग विशेष का हस्तान्तरण व कब्जा के संबंध में शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया गया एवं रेस्पो.-वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया। माननीय सिविल न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद वादी-रेस्पो. ने सभी हितबद्ध को पक्षकार बनाये बिना विचारण न्यायालय में दावा पेश किया और गलत तथ्यों के आधार पर अपने पक्ष में निर्णित करवा लिया। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को नजरअंदाज किया गया है, जो सही नहीं है। मौके पर अपीलाण्ट्स का अपने परिवार सहित रहवास है, विचारण न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर मात्र बींजाराम के हस्ताक्षर है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील नहीं करायी गयी, जिस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी, अन्य कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी से मिलने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत जानकारी प्राप्त हुई तो विचारण न्यायालय में नकल हेतु आवेदन किया, दिनांक 17 नवम्बर 2022 को नकलें प्राप्त होने पर बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की गयी है जो अन्दर मियादशुमार की जावे। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

08-2-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपील अपीलाण्ट्स मियाद-बाधित होने के कारण तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावा संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, मगर सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील के उपरान्त भी प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये, अतः उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। गुणावगुण पर अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद दिनांक 18 अगस्त 2022 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी, मगर अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2022 को कोई चुनौती नहीं दी गयी है अपितु आलौच्य अपील फाइनल डिक्री दिनांक 19 सितम्बर 2022 के खिलाफ ही पेश की गयी है। अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल दावा स्वीकार करते हुए पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2022 के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब कर फाइनल डिक्री जारी की है जो विधिवत एवं न्यायोचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा "... माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी से संबंधित वाद में पारित निर्णय दिनांक 09 अगस्त 2019 की पालना करते हुए सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम बेरडो का बास बारनाउ पटवार मण्डल बारनाउ तहसील बालेसर हाल सेखाला जिला जोधपुर के खसरा संख्या 69 रकबा 47.15 बीघा का बंटवाडा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खातेदार के हिस्से एवं कब्जे अनुसार ..." किये जाने के आदेश दिये गये है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय को अनदेखा किया गया। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने आलौच्य अपील मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

08.2.24
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम द्वारा आराजी खसरा संख्या 619 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा में से 9 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 13 अप्रेल 2011 को कय किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत दावा पेश किया गया, जिसमें अपीलाण्ट्स भी बतौर प्रतिवादी संख्या एक व दो पक्षकार संयोजित किये गये। उक्त वाद में वादी-रेस्पो. द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा, पूर्व में हुए आपसी बंटवाडा अनुसार राजस्व रिकार्ड में बंटवारा किया जाकर राजस्व नक्शे में हक-हिस्से अनुसार तरमीम किये जाने और प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर 2019 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, रजिस्टर्ड एडी सम्मन भी भिजवाये गये, मगर बावजूद सूचना प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ दिनांक 09 सितम्बर 2020 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 18 अगस्त 2022 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की गयी, जिसके अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 19 सितम्बर 2022 को पारित किये गये। उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 18 अगस्त 2022 को कोई चुनौती नहीं दी गयी है अपितु मूल वाद स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 18 अगस्त 2022 के अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव तलब कर जारी फाइनल डिकी दिनांक 19 सितम्बर 2022 के खिलाफ ही आलौच्य अपील पेश की गयी है।

02-2-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 619 सहित विभिन्न खसरा नम्बरान की आराजियात बाबत माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर के समक्ष अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण आदि द्वारा प्रस्तुत दीवानी मूल वाद संख्या 230/2011 अनवान नारायणराम व अन्य बनाम बाबुराम आदि का निस्तारण करते हुए माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09 अगस्त 2019 में बिना बंटवारा स्पेशिफिक भूमि के हस्तान्तरण व कब्जा के संबंध में बेचाननामा दिनांक 13 अप्रेल 2011 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करते हुए आदेश पारित किया गया है प्रतिवादी संख्या दो (वर्तमान मामले में वादी-रेस्पो. संख्या एक किशनाराम पुत्र कुम्भाराम जाट) को समक्ष न्यायालय के विधिवत बंटवारे के बिना उक्त बेचाननामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का प्रयास नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है। अपनी खरीदशुदा भूमि का विधिवत बंटवारा कराने हेतु उक्त निर्णय के अनुसरण में वादी-रेस्पो. संख्या एक ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जिसे बाद आवश्यक कार्यवाही स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा "... माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी से संबंधित वाद में पारित निर्णय दिनांक 09 अगस्त 2019 की पालना करते हुए सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम बेरडो का बास बारनाउ पटवार मण्डल बारनाउ तहसील बालेसर हाल सेखाला जिला जोधपुर के खसरा संख्या 69 रकबा 47.15 बीघा का बंटवाडा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खातेदार के हिस्से एवं कब्जे अनुसार ..." किये जाने के आदेश दिये गये और प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसमें कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नजर नहीं आती है। प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाबत कोई उज्र-एतराज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 सितम्बर 2022 पारित किये गये है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है।

08-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील में अंतिम बहस समायत करने के बाद किन्तु आज निर्णय लिखाये जाने के पूर्व अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा प्रपत्र तीन के संलग्न दिनांक 25 नवम्बर 1994 उप-पंजीयक कार्यालय ओसिंया में पंजीबद्ध गोदनामा दत्तक ग्रहण विलेख की नोटेरी से तस्दीकशुदा फोटोप्रति पेश की। मगर उक्त दस्तावेज आदिनांक तक किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत कोई ठोस विश्वसनीय कारण प्रकट नहीं किया गया। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 619 सहित विभिन्न खसरा नम्बरान की आराजियात बाबत माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर के समक्ष अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण आदि द्वारा प्रस्तुत दीवानी मूल वाद संख्या 230/2011 अनवान नारायणराम व अन्य बनाम बाबुराम आदि में प्रतिवादी संख्या दो बाबूराम के दत्तक जाने के संबंध में कायम तनकी संख्या दो का निस्तारण करते हुए माननीय सिविल न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया है कि "... वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि प्रतिवादी संख्या एक बाबूराम दिनांक 25.11.1994 को मेहराराम पुत्र तुलछाराम के गोद चला गया ..."। इसके अलावा विचारण न्यायालय में मूल वाद स्वीकार करते हुए पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 18 अगस्त 2022 को आलौच्य अपील में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। इन कारणों से वर्तमान अपील में अंतिम सुनवाई के बाद आज निर्णय लिखाये जाने के दिन प्रस्तुत उक्त दस्तावेज बतौर साक्ष्य अभिलेख पर लिया जाकर कोई निष्कर्ष पारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, विलम्ब कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी होने का कोई निश्चित समय बिन्दु अंकित नहीं किया गया है। इसके अलावा विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से सम्मनों की सम्यक एवं समुचित तामील के बावजूद प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में

09.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के मियाद के आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी 19 सितम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. नारायणराम पुत्र विशनाराम 2. किशनाराम पुत्र विशनाराम निवासीगण बारनाउ, तहसील बालेसर (हाल तहसील सेखाला), जिला जोधपुर	**ब ना म**	1. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम जाट 2. बाबुराम पुत्र विशनाराम गोदपुत्र मेहराराम जाट 3. शान्ति पत्नी विशनाराम जाट निवासीगण बारनाउ, तहसील बालेसर (हाल तहसील सेखाला), जिला जोधपुर 4. तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 सितम्बर 2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 84/2019 (जीसीएमएस 2019/00123) किशनाराम बनाम नारायणराम इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 08 फरवरी 2024 बहाजरी श्री ओ.पी.राठी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट तथा श्री रुघाराम चौधरी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी 19 सितम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 08 फरवरी 2024 को जारी किया गया।

8.02.2.24

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

08.2.24

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर